बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001

आवश्यक सूचना

वि०सं० 06/2020, परिवहन विभाग के अंतर्गत "मोटरयान निरीक्षक" के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु दिनांक 30.04.2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 9 (i) के आलोक में आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्डकॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.07.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक निर्धारित की गई थी। पुनः अभ्यर्थियों से आयोग में विहित प्रपत्र के माध्यम से भेजे गये आवेदन की हार्ड कॉपी/शैक्षिक प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार के मान्यता से संबंधित साक्ष्य के संबंध में दिनांक 26.04.2021 तक आयोग को (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट की छायाप्रति) भेजने हेतु सूचना दी गई थी।

1. वैसे 209 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सत्र तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर एक वर्षीय, दो वर्षीय एवं चार वर्षीय ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग/यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अंकित किया गया है।
2. वैसे 259 अभ्यर्थी जो तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शैक्षिक योग्यता में वर्णित यांत्रिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा/ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबद्ध (Allied) विषय से संबंधित डिग्री/अंक पत्र के संबंध में;
3. वैसे 32 अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में ड्राईविंग लाईसेंस की संख्या अंकित नहीं की गई है।
4. वैसे 448 अभ्यर्थी जो B.E/B.Tech/B.Sc शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी;
5. वैसे 825 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की हार्डकॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र दिनांक 26.04.2021 तक विहित प्रारूप में भरकर दिनांक 20.07.2020 तक भेजने का साक्ष्य नहीं भेजने के कारण;
6. वैसे 258 अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन की हार्डकॉपी के साथ डिप्लोमा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
7. वैसे 329 अभ्यर्थी जिनके द्वारा डिप्लोमा प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में नहीं निर्धारित तिथि तक नहीं भेजा गया है।
8. वैसे 128 अभ्यर्थी जिनके द्वारा संलग्न डिप्लोमा प्रमाण/अंक पत्र से सत्र की अवधि एवं शैक्षिक योग्यता स्पष्ट नहीं है।
9. वैसे 158 अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा/ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त तथा शैक्षिक सत्र तीन वर्ष के अतिरिक्त;
10. वैसे 61 अभ्यर्थी जिन्होनें एक से अधिक आवेदन किया है, को बाद में प्राप्त 62 आवेदनों को अंतर्लीन (Merge) किया गया है।

अतः कुल– 5764 अभ्यर्थियों में से 2708 अभ्यर्थियों को विज्ञापन के शर्तो को पूर्ण नहीं करने के कारण अनर्हित किया जाता हैं एवं शेष 3056 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अर्हित माना जाता है।

14.8.21

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना